# CONSCIOUS CITIZEN FORUM

39, Sai Vihar Complex, Plot No. #78/79/80, C.B.D. Belapur, Navi Mumbai - 400 614. India
• Ph.: 022 - 2757 4406 • Mob.: +91 98670 01003
E-mail: contact@consciouscitizenforum.org • Web.: www.consciouscitizenforum.org


सेवा में,
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

## (सेज बनाम साज)
## स्पेशल इकॉनोमिक ज़ोन बनाम स्पेशल एग्रीकल्चर ज़ोन

पिछले एक दशक से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हमारे पुरे देश में पानी का भीषण अभाव होता जा रहा है दिन प्रति दिन यह बढ़ता ही जा रहा है. सामान्य जनजीवन पर इसका खासा असर दिख रहा है यदि समय रहते इस पर व्यापक योजना नहीं बनायी गयी तो समुचा मानव जीवन प्रभावित हो जायेगा खासकर वैसा वर्ग जो पूरी तरह पानी पर और प्रकृती पर निर्भर है, जैसे किसान पूरी तरह तबाही की ओर बढ़ रहे हैं वह दिन दूर नहीं की किसानों की तबाही का कहर देश के हर व्यक्ति हर वर्ग को प्रभावित करेगा क्योंकि मनुष्यों के जीवन का आधार यही है.

हमारा मानना है कि वैसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो बस जरूरत है सही सच्ची नियत और निति की. पानी की समस्या किसानों की समस्या जहां तक प्रकृतिक कम मानवीय गलतियों की समस्या ज्यादा है. हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ चालु कर दिया और प्रकृति को अपने से दूर कर दिया जिससे प्रकृति और मनुष्यों का संतुलन बिगड़ गया. अब वक्त आ गया है कि हम अपनी भूल सुधारे और प्रकृति से अपना संतुलन को कायम करें जितना हो सके उसके करीब आये मतलब प्रकृति से जुड़े.

अब हमें अपने किसानों की समस्या तथा सुखे एवं अन्य संसाधनों के अभाव से लड़ते किसानों के बारे में सोचना एवं उनके लिये कुछ करने को तैयार होना होगा उनके खेती से जुड़ी समस्या (धन, तकनिक, ज्ञान, संसाधनों का अभाव प्रकृति पर निर्भरता की समस्या) के निदान के लिये व्यापक योजना तैयार करनी होगी, अगर हम इरान से पाइप लाइन से हजारों किलोमीटर कई देशों को पार कर अपने देश में तेल ला सकते है तो सुखी जमीन पर पानी क्यों नहीं ला सकते यह भी मानव संभव कार्य है देश विदेशों से तकनीकी ज्ञान मिलना संभव है.

जल संबंधीत समस्या के लिए कुछ प्रयास सरकारी स्तर पर भी करना होगा जैसे नदियों को एक दूसरे से जोड़ना लेकिन बांध द्वारा ताकि समय-समय पर इसे खोला और बन्द किया जा सके, बाढ़ वाले इलाके से सुखे इलाके में नहर बनवाने का काम ताकि जब भी उस क्षेत्र में बाढ़ आये तो उस पानी को नहर के सहारे सुखे क्षेत्र में भेजा जा सके ताकि भूमिगत जल स्तर संतुलित रह सके. खासकर वैसे शहर जो समुद्र से लगे हो वह पांच सितारा होटल, क्लब, स्विमिंग पुल या पीने हेतु जल की व्यवस्था समुद्री पानी को शोधन कर पीने हेतु जल प्रदान किया जाए, निर्माण क्षेत्र के लिए भी इस्तेमाल पानी को साफ कर दिया जा सकता है एवं अन्य उपाय पर भी खोज की जा सकती है.

हमारी संस्था ने एक योजना की कल्पना की है एवं संक्षिप्त विवरण तैयार किया है जिसके आधार पर और अच्छी योजना तैयार की जा सकती है. जिस तर्ज पर स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (सेज) बनाया गया उसी तर्ज पर स्पेशल ऑग्रिकिल्चर जोन (साज) तैयार किया जाना चाहिए. ताकि इस योजना को आधार

Scanned by CamScanner

बनाकर एक व्यापक शोध करवा कर इस योजना को चलाया जा सकता है जैसे १००० से ५०० हेक्टेयर में छोटे-बड़े हर किसानों के भूमि का एक **'विहीत परिक्षेत्र' 'चंक'** बनाकर इसे उद्योग का दर्जा देकर ग्लोबल वैश्विक तर्ज पर निवेशकों को आमंत्रित करना १००% एफ.डी.आई. एवं बैंक लोन, पब्लिक हिस्सेदारी की अनुमति देना इत्यादि.

इस योजना में जुड़ने वाली कंपनी, संस्था, व्यक्ति, इस साज में पड़ने वाले किसाने के परिवार को लाभ में हिस्सेदारी देना एवं किसानों के परिवार के लोगों को इसमें रोजगार देना एवं उनके भविष्य के लिए श्रमिक कानून के तहत हर सुविधा मुहैया करवाना.

इस परियोजना में सम्मलित किसानों के आवास, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था एक संकुल बनावा कर करना होगा जैसे किसानो की जीवन बीमा इत्यादी.

जल संचय, शोधण, भंडारण एवं भुगर्भीय जल की लेबल को कायम करने का कार्य.

**'साज'** में एक निश्चित मात्रा में जंगल के लिए एवं जल भंडारण के लिए जमिन को आरक्षित करना होगा.

**'साज'** में कृषि आधारित सभी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए संकुल का निर्माण करवाना होगा कृषि आधारित उद्योग जैसे फ्लोर मिल, दाल मिल, राईस मिल, ऑयल मिल, फूड प्रोसेसिंग एवं क़ोल्ड स्टोरेज, वेयर हाऊसिंग इत्यादि का विकास करना तथा एग्रीकल्चर इक्युपमेन्ट एवं कृषी पर आधारित अन्य उद्योग इत्यादी का निर्माण.

साज के उत्पादनों को डायरेक्ट बिक्री करने की व्यवस्था, विचौलियो को इससे बाहर करना कृषि आधारित किसी भी तरह के उत्पादनों के आयात, निर्यात की अनुमति (राष्ट्रीय साज) के तहत लाना चाहिये उससे यह फायदा होगा कि हमारे देश में हो रहे उत्पादन के आधार पर ही विदेशों से आयात एवं निर्यात का निर्णय लिया जा सकेगा इससे हमारे देश में हो रहे कृषि उत्पादनों को संतुलित लिया जा सकेगा, छोटे-बड़े हर खरीद साज के माध्यम से लिया जाये अगर साज से जुड़े किसान, कंपनी चाहे तो छोटे-बड़े आउटलेट खोल सके इस सभी के लिए राष्ट्रीय निति और देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, कॉसिल का गठन किया जाये जो पूरे देश में साज संचालन की निति और निगरानी रखें.

**'साज'** में किसानों के जमिन के आधार पर उनका शेयर निर्धारण करना तथा वे जब चाहे अपना शेयर बेचने का अधिकार हो जैसे वो अपना खेत बेचते हैं, जो उनका शेयर खरीदता है, उन्हें भी उसी किसान के तर्ज पर **'साज'** का फायदा मिलेगा.

किसान जब चाहे अपने शेयर का ५०% तक **'साज'** संचालकों या बैंकों से कर्ज ले सकता है यहां यह भी देखा गया है कि खेतों का मलिकाना हक किसी और का होता है लेकिन खेती कोई और करता है वैसी स्थिती में मूलमालिकों को ३०% का हिस्सा और खेती करने वाले जिनका कब्जा होता है उन्हें ७०% की हिस्सेदारी देना.

**'साज'** में शामिल किसानों को आवास एवं निश्चित सीमा तक बीजली, पानी, तय सीमा तक मुफ्त देना होगा.

**'साज'** संचालक जहां किसान चाहे बहुमत आधार पर उनके लिए अवासीय संकुल का निर्माण करना होगा.

उनके शिक्षा, चिकित्सा की भी व्यवस्था करनी होगी. एवं वैसे सारे व्यवस्था जो किसान कल्याण में संभव हो करना होगा.

**'साज'** के संचालकों एवं हिस्सेदारों को सभी तरह के टैक्सों के छूट का प्रावधान बनाना होगा.

सेज से जुड़ी भूमि का किसी भी परिस्थिती में इसके मूल स्वरूप को नहीं बदला जायेगा जैसे (खेती से गैर खेती)

Scanned by CamScanner

**'साज'** संचालक को इससे संबंधी किसी योजना परियोजना एवं तकनीक के आयात पर कोई सीमा शुल्क या किसी अन्य तरह का शुल्क नहीं देना होगा.

**'साज'** संचालकों को नविन तकनीक का उपयोग करना जरुरी होगा ताकि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे एवं वैसे कोई तकनिक का उपयोग नहीं जो हमारे अनुवांशिक संरचना को प्रभावित करे.

**'साज'** संचालन मंडल में किसानों के प्रतिनिधि भी रहना अनिर्वाय होगा किसी भी किमत पर किसानों का मूल अधिकार खत्म नहीं हो सकता.

**'साज'** में वैसे किसान जिनका जमिन कम हो और परिवार बड़ा हो वैसे किसानों को भी नियुन्तनम आमदनी एवं बाकि सारी सुविधाएं देनी होगी.

हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि पहले भी सहकारिता का सिस्टम बनाया गया था लेकिन यह कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इसमें **'साज'** जैसी व्यवस्था नहीं थी. इस व्यवस्था को और अनुभवी एवं तकनीकी अनुभवी लोगों के समुह द्वारा और विस्त्रित तौर पर तैयार किया जाए तो इससे बेहतर और कोई योजना नहीं हो सकती जो हमारे देश को एक संपन्न सम्बृद्ध किसानों का देश का गौरव प्रदान कर सकें एवं हमारी सरकार को भी जायदा आर्थिक भार से निजात दिलवा सकता है एवं देशी-विदेशी निवेशक भी आसानी से आकर्षित हो सकते है अभी-अभी हमारे देश में जैसे रक्षा उद्योग में १००% एफ.डी.आय. की अनुमति दी गई है उसी तरह इसे भी महत्त्व देना चाहिए **(तभी जाकर जय जवान, जय किसान का नारा सही मायने में सार्थक होगा)** इस में अभी और बहुत सारे काम करने होंगे. ताकि विज्ञान, कृषि उत्पादन, पर्यावरण, आर्थिक विकास एवं जल संकट जैसी चीजों से मुक्ती मिल सके क्योंकि अभी तक इस आपदा से निपटने के लिए सिर्फ किसानों को आर्थिक पैकेज जैसी योजना बनायी गई जो श्रष्टाचार के कारण सफल नहीं हो सकी एवं जहां किसी को एक बोतल पानी की जरुरत थी तो उसे १०,००० की गड्डी दे दी जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती और आज बढ़ती हुई औद्योगिक मोहिम में किसान एवं कृषि क्षेत्र एकदम उपेक्षित होता जा रहा है.

अतः महोदय इस योजना की पूरी जानकारी सिर्फ पत्रों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता.

एक विस्तृत संवाद के द्वारा पूरा किया जा सकता है. हमारा निवेदन है कि प्रयोग के तौर पर इस प्रयोजना को चलाया जाये एवं हमारी संस्था भी इसको साकार करने में सरकार के साथ अपना सहयोग देना चाहती है.

यदि इस योजना पर विशेष रुप से सरकार द्वारा देश हित में कोई निर्णय लिया जाय तो निश्चित तौर पर अभी के सरकार के लिये यह योजना एक गेम चेन्जर साबित होगा.

**धन्यवाद,**

जय हिन्द जय भारत

भवदीय

18/7/2016

(के.कुमार)

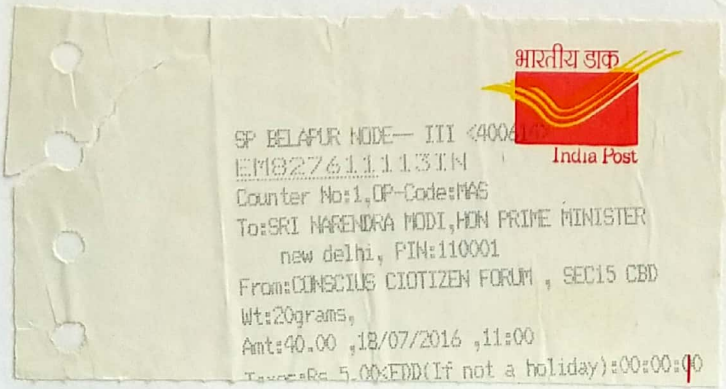


Scanned by CamScanner

No. D-12/7/2016-SEZ (Pt.)
Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
(SEZ Section)
***

Udyog Bhawan, New Delhi-110107
Dated: 21 July, 2016

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject:-** Electronic Public Grievance dated 01.06.2016 of Shri K. Kumar regarding *"Development of Special Agriculture Zone (SAZ) on the lines of Special Economic Zone (SEZ)"*.

The undersigned is directed to forward herewith a copy of electronic public grievance registration No. PMOPG/E/2016/0187220 dated 01.06.2016 along with its enclosure received from Shri K. Kumar, resident of Ahmadnagar, Maharashtra on the subject mentioned above.

2. Since, the matter does not pertain to Special Economic Zone (SEZ), Department of Commerce. The same is being forwarded to M/o Agriculture & Farmers Welfare, D/o Agriculture & Corporation for appropriate action under intimation to Department of Commerce (DoC).

**(Aditya Narayan)**
Under Secretary
Tel: 011-23062496
E-mail: aditya.n@nic.in

**Encl:** As above.

To

Department of Agriculture & Corporation,
[**Kind Attn:** Shri Sudhir Kumar, Under Secy. (PG)],
Room No. 37-C, Krishi Bhawan,
Dr. Rajendra Prasad Road,
New Delhi-110001

**Copy to:** (1) Shri K. Kumar, resident of Conscious Citizen Forum, 39 Sai Vihar Complex, Plot No. 78/79/80, Sector-15, CBD Belapur, Distt. Ahmadnagar, Navi Mumbai-400614, Maharashtra.

(2) TF Section, Department of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi-1100107.

Scanned by CamScanner

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा)
संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
# National Water Development Agency
**(Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India)**

NWDA /113/55/ Tech /2016 18557-59 Date 6/12/2016

To

Sh.K.Kumar,
39 Sai Vihar Complex,
Plot no. 78/79/80,
C.B.D. Belapur,
Navi Mumbai.

Sub.: Proposal regarding Solutions / Suggestions for solving Water related Problems like Special Agricultural Zone (SAZ) Programme, ILR etc.

Sir,

Please refer to your grievance bearing number PMOPG/D/2016/0201867 dated 20.7.2016 addressed to Hon'ble Prime Minister of India wherein you have given suggestions for solving Water related Problems like Special Agricultural Zone (SAZ) Programme, ILR etc. As far as Interlinking of Rivers is concerned, it is to inform that National Water Development Agency (NWDA) under Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has been entrusted with work of Interlinking of Rivers (ILR) as per National Perspective Plan (NPP) and the study work on Interlinking of Rivers is under progress. For details of the ILR project, the website of National Water Development Agency (NWDA) i.e. www.nwda.gov.in may be referred. It is to mention that Interlinking of Rivers (ILR) Programme has been taken up on high priority by Government of India.

(K.P.Gupta)
Director (Tech.)

18–20, सामुदायिक केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली – 110017
दूरभाष : 011–26519164, 26852735 फैक्स : 011–26960841, 26513846
वेबसाइट : www.nwda.gov.in

जल बचत – जल संचय

18-20, Community Centre, Saket, New Delhi-110017
Phone : 011-26519164, 26852735 Fax : 011-26960841, 26513846
Website : www.nwda.gov.in

Scanned by CamScanner

7

**Immediate/P.G. Case**

जल क्रांति अभियान
जल बचत - जल संचय

F. No. Z-24016/2/2016-FM/4716-20
Government of India
Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
Flood Management Wing
***

8th Floor, Block No. 11, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003
Dated 16.11.2016

To

Member (WP&P),
Central Water Commission,
201-S, Sewa Bhawan, R. K. Puram,
New Delhi - 110066

Sub: Receipt of various petitions – reg.

Sir,

Please find enclosed herewith the following representations received from PMO through CPGRAMS for appropriate action:

| Sl. No. | Name of the petitioner | Reg. No. & Date | Brief Description |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri K Kumar | PMOPG/D/2016/0201867 dated 20.07.2016 | Reg. various suggestions on water problems |
| 2. | Shri Sanjay G Mehta | PMOPG/E/2016/0230326 dated 01.07.2016 | Reg. various suggestions to tackle flood and interlinking of rivers |
| 3. | Shri Puran Dawar | PMOPG/E/2016/0232714 dated 02.07.2016 | Reg. various suggestions to tackle water problems |

Encl: As above.

Yours faithfully,

16/11/16

**(Ajay Kumar)**
**Senior Joint Commissioner (FM)**
**Tel. 011-24360611**

Copy for information to:

1. Shri K Kumar, Conscious Citizen Forum, 39, Sai Vihar Complex, Plot No. 78/79/80, C.B.D. Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra
2. Shri Sanjay G Mehta, P.O. Box 3151, Business Bay, Bay Squar Building nO. 3, 6th floor, Dubai, UAE
3. Shri Mayank Sharma, 480 Block A, DDA LIG Flat No. 4333, Kodli Gharoli, Hanuman Mandir Road, Mayur Vihar Phase-III, New Delhi - 110096
4. Shri Arun Kumar, Under Secrtary (Coord.), Ministry of WR, RD & GR w.r.t. O.M. No. F-11011/156/2016-Coord. dated 02.11.2016. It is also requested that the case may be considered as 'disposed' in so far as FM wing is considered and also request to make necessary entries in the record accordingly.
5. Director (Saff/PG), MoWR, RD&GR, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi

Scanned by CamScanner

TOI - 20-5-17

# Agriculture sector requires evergreen revolution: PM

TIMES NEWS NETWORK

**New Delhi:** PM Modi on Friday invoked the vision of an 'evergreen revolution' in the farm sector while exhorting the scientific and technological community to explore possibilities of creating agriculture clusters on the pattern of industrial clusters where different areas in the country can be identified with particular crops.

"The challenge in the agriculture sector remains. We keep talking about green revolution-I and green revolution-II. But the goal should be 'evergreen revolution'. We should have sustainable agricultural production and work towards removing regional imbalances," said Modi.

He was speaking after releasing a two-part book series on eminent agricultural scientist M S Swaminathan. Titled 'M S Swaminathan: The Quest for a World without Hunger', one book details '50 years of Green Revolution: An Anthology of Research Papers' of the legendary scientist. The other book is called 'M S Swaminathan: Legend in Science and Beyond' and is written by P C Kesavan.

Speaking about the "economic imbalance" among various regions of the country, the PM said "the country cannot run for long with the imbalance". "The success in agriculture needs to be extended to eastern India," said Modi. The PM also emphasised the need for moving from the concept of 'food security' to 'nutrition security', for which he favoured technological interventions.

Scanned by CamScanner